

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 727/2011/अलवर

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन,
भिवाड़ी, अलवर

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स एस.एन.बी. प्लास्टोकेम प्रा0 लि0
रीको इण्ड. एरिया, भिवाड़ी, अलवर

.....प्रत्यार्थी

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

1. श्री रामकरण सिंह,
उप-राजकीय अभिभाषक
2. श्री दिनेश कुमार, अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक : 30/11/2016

यह अपील विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जावेगा) द्वारा पारित अपील संख्या 32/RVAT/10-11/उपा/अपील्स/अलवर निर्णय दिनांक 26.10.2010 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित अधिनियम 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जावेगा) की धारा 25, 61 एवं 55 के तहत प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें उपायुक्त अपील्स ने अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति रू 6,14,828 को अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षेप में इस प्रकार है उपायुक्त (प्रशासन), अलवर के निर्देशानुसार सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जावेगा) द्वारा दिनांक 15.01.10 को अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण किया गया। वक्त सर्वे व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड की जांच की गई। इसके अलावा व्यवहारी द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत बिक्री विवरणियों की जांच के उपरान्त सशक्त अधिकारी द्वारा अपनी अनुशंभा के साथ अभियोग प्रस्तावित कर पत्रावली आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 7.8.2009 की पालना में सक्षम अधिकारी को स्थानान्तरित की गयी। सक्षम अधिकारी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि व्यवहारी ने वर्ष 2008-09 की प्रस्तुत विवरणियों वैट-10 एवं अन्य रेकार्ड में आलौच्य अवधि का कुल टर्नओवर रू0 1,33,48,167/- घोषित किया है जिसमें रू. 36,16,635/- की बिक्री राज्य के भीतर मेलामाइन क्रॉकरी (किचन वेयर, टेबल वेयर) पर 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर जमा करवाया है, जबकि आलौच्य अवधि में क्रॉकरी वैट अनुसूची-V के अन्तर्गत है जिस पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय था। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा कम दर से कर जमा करवाया गया है जो avoidance of tax or has not paid in accordance with law की परिभाषा में आता है। जिससे व्यवहारी द्वारा करापवंचना की मंशा मानते हुए सक्षम अधिकारी ने अधिनियम की धारा 25, 61 व 55 के तहत कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया। जिससे व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी, प्रस्तुत अपील का निस्तारण करते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दि0 26.10.2010 द्वारा शास्ति राशि रू0 6,14,828/- को अपास्त किया। इस आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति उचित है, अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि व्यवहारी bonafide belief के तहत 4 प्रतिशत से कर वसूल कर राज्य कोष में जमा करा रहा था। यह मामला Entry की कानूनी व्याख्या का है। व्यवहारी के समस्त संव्यवहार उसकी लेखा पुस्तकों में दर्ज है। उसमें सम्पूर्ण हिसाब-किताब सही रखा है और उसने आलौच्य अवधि में 4 प्रतिशत से वसूले गये कर के अलावा 8.5 प्रतिशत से अन्तर कर भी राज्य कोष में जमा कराकर रिवाईज्ड रिटर्न पेश कर दिये है। उसने विभाग से किसी भी तथ्य/सूचना को छिपाया नहीं है। अतः व्यवहारी की करापवंचना की मंशा नहीं मानते हुए अपीलीय अधिकारी ने उचित आधार पर अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति को अपास्त किया है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 2009-23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम सरकार प्रस्तुत कर अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्षों की बहस सुनने, उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अध्ययन किया गया। इस प्रकरण में व्यवहारी bonafide belief के तहत 4 प्रतिशत से कर वसूल कर राज्य कोष में जमा करा रहा था। यह मामला Entry की कानूनी व्याख्या का है। व्यवहारी के समस्त संव्यवहार उसकी लेखा पुस्तकों में दर्ज है। उसने किसी भी संव्यवहार को छुपाया नहीं है। उसमें सम्पूर्ण हिसाब-किताब सही रखा है और उसने आलौच्य अवधि में 4 प्रतिशत से वसूले गये कर के अलावा 8.5 प्रतिशत से अन्तर कर भी राज्य कोष में जमा कराकर रिवाईज्ड रिटर्न पेश कर दिये है, जिससे व्यवहारी की करापवंचना की मंशा सिद्ध नहीं होती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम सरकार में प्रतिपादित किया गया है कि -


"SALES TAX DEALER CLAIMING SALES WERE ONLY OF PARTS OF WET GRINDERS TO AVAIL OF EXEMPTION - CLAIM REJECTED AND DEALER ASSESSED ON SALES OF WET GRINDERS - FINDING OF FACT - TAX CAN BE IMPOSED - BUT PENALTY CAN NOT BE IMPOSED AS SALES OF ITEMS WERE INCORPORATED IN ACCOUNT BOOKS THOUGH THEY WERE NOT INCLUDED IN TURNOVER - TAMIL NADU GENERAL SALES TAX ACT [1 of 1959]

PENALTY - EXEMPTION CLAIMED - CLAIM REJECTED - SALES INCORPORATED IN ACCOUNT BOOKS - PENALTY CAN NOT BE IMPOSED."


अपीलीय अधिकारी ने उचित आधार पर अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश दि. 26.10.2010 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी के आदेश दि० 26.10.2010 को यथावत रखते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


20.11.2016
सदस्य

राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर



अध्यक्ष
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर